न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 11/2017
जीसीएमएस नम्बर :: 2017/00329

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण		1. जगदीश पुत्र धना जाति ढोली निवासी लाम्बिया तहसील जैतारण 2. भैरूलाल पुत्र सुरजमल जाति अचारज निवासी लाम्बिया तहसील जैतारण

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना

–:: आदेश ::–

दिनांकः– 28/7/21

तहसीलदार जैतारण द्वारा यह प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। एवं बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम लाम्बिया के खसरा नंबर 697 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमी गैर मुमकिन नाडी स्थित थी जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2065–66 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमी का उपखण्ड अधिकारी के आदेश क्रमांक 829–30 दिनांक 7.4.1976 की पालना में नामान्तकरण संख्या 750 दिनांक 17.10.1976 भरा गया जिसमें भूमी की किस्म परिवर्तन कर गैर मुमकिन नाडी से बारानी अव्वल दर्ज किया गया। जो विधीसम्मत हीं है। उक्त भूमी का आवंटन/नियमन अप्रार्थी संख्या 1 जगदीश पुत्र धन्ना के हक में उपखण्ड अधिकारी जैतारण के आदेश क्रमांक 78–81 दिनांक 28.4.76 द्वारा किया गया। आवंटन आदेश नहीं होने बाबत पत्रांक 367 दिनांक 02.3.2020 के साथ भू आवंटन कमेटी द्वारा की गई कार्यवाही रजिस्टर की प्रति प्रेषित की हुई है जो संलग्न पत्रावली है। आंवटन सलाहकार समिति के मासिक कार्यक्रम की दिनांक 28.4.1976 की प्रोसिडिंग में क्रमांक 10 पर आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 का नाम अंकन होने से आवंटन होना स्पष्ट है। उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 760 दिनांक 17.10.76 अप्रार्थी संख्या 1 जगदीश पुत्र धनाराम के हक में भरा जाकर राजस्व रेकर्ड में गैर खातेदार दर्ज किया गया। उसके पश्चातवृती नामान्तरकरण संख्या 984 दिनांक 12.8.1980 के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 को खातेदार दर्ज किया गया। व नामान्तरकरण संख्या 987 दिनांक 15.8.1980 अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में बेचाण दिनांक 12.8.80 को जरिये स्टाम्प करने से अप्रार्थी संख्या 2 भैरूलाल के नाम नामान्तरकरण भरा गया। उक्त बेचाण भी विधिसम्मत नहीं है। उक्त भूमी की किस्म गै.मु. नाडी होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमी है अतः उपखण्ड अधिकारी, जैतारण को न तो इसका किस्म परिवर्तन करने का अधिकार है और न ही इसका आवंटन/नियमन किया जा सकता है। अतः उक्त आवंटन/नियमन प्रतिबंधित भूमी का कर दिए जाने से निरस्त योग्य है। जिसे निरस्त फरमाकर जैर प्रार्थना पत्र आराजी को पुनः गै.मु. नाडी दर्ज कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री श्याम पंचारिया आज वक्त बहस अनुपस्थित रहे अतः एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के हक में ग्राम लाम्बिया पटवार मण्डल लाम्बिया तहसील जैतारण के खसरा नंबर 697 रकबा 5.11 बीघा भूमी का आवंटन उपखण्ड अधिकारी जैतारण के आदेश दिनांक 28.4.76 द्वारा किया गया था। जो आवंटन सलाहकार समिति के मासिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:21:13 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलक्टर, पाली

क्रमश 2

कार्यक्रम की दिनांक 28.4.76 की प्रोसिडिंग में क्रमांक 10 पर अप्रार्थी जगदीश पुत्र धनाराम के नाम से स्पष्ट है। उक्त भूमी का उपखण्ड अधिकारी जैतारण के आदेश क्रमांक 829–30 दिनांक 7.4.1976 की पालना में नामान्तकरण संख्या 750 दिनांक 17.10.1976 भरा गया जिसमें भूमी की किस्म परिवर्तन कर गैर मुमकिन नाडी से बारानी अव्वल दर्ज किया गया। तथा उपखण्ड अधिकारी जैतारण के आदेश दिनांक 28.4.1976 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 जगदीश पुत्र धनाराम के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 760 दिनांक 17.10.1976 भरकर गैर खातेदार दर्ज किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जगदीश पुत्र धनाराम द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 भैरूलाल पुत्र सूरजमल को उक्त भूमी का बेचाण कर दिये जाने से उसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 987 दिनांक 15.8.1980 अप्रार्थी संख्या 2 के हक में भरा गया। वर्तमान में उक्त भूमी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज है। तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत उक्त गै.मु. नाडी प्रतिबंधित श्रेणी की भूमी होने से उसकी किस्म गैर मुमकिन नाडी से बारानी अव्वल में परिवर्तन कर इसका आवंटन/नियमन किया जाना विधिविरूद्ध है। सरकारी प्रतिबंधित भूमी का आवंटन/नियमन किसी के हक में किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की सेवामें प्रेषित कर निवेदन है कि नामान्तकरण संख्या 750 दिनांक 17.10.1976 जिसके जरिये भूमी की किस्म परिवर्तन की गई व उसके पश्चातवृती नामान्तरकरण संख्या 760 दिनांक 17.10.1976 , 984 दिनांक 12.8.1980 व 987 दिनांक 15.8.1980 को निरस्त फरमाने के साथ ही भूमी पुनः गैर मुमकिन नाडी दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावे।

जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान) न्यायालय

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:21:13 IST
Reason: SelfAttested